



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला सम्भल
तहसील सम्भल
आवेदन क्र० 172050030020174
प्रमाणपत्र क्र० 754173006220

जारी दिनांक: 25/07/2017

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

कु. शिवानी कश्यप
श्री राधेलाल कश्यप
श्रीमती -
, ग्राम महमूदपुर कुन्ज
सम्भल
सम्भल



उत्तर प्रदेश राज्य की कश्यप जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. शिवानी कश्यप पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: मोहम्मद नाजिम, सीएमएस जन सेवा केंद्र

पद: मोहम्मद नाजिम, केन्द्र प्रभारी

स्थान: मोहम्मदपुर कुन्ज, सम्भल, MOHAMMADPUR

KUNJA, सम्भल, सम्भल

दिनांक: 28/07/2017

हस्ताक्षर एंव मुहर

Karam Singh
Digitally Signed by
Karam Singh
O=Personal
S=Uttarakhand

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित

सम्भल, सम्भल

दिनांक: 25/07/2017